भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2166
05.08.2024 को उत्तर के लिए

फर्जी प्रदूषण ट्रेडिंग प्रमाण-पत्र

2166. श्री टी. एम. सेल्वागणपति :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने चार प्लास्टिक पुनर्चक्रण कंपनियों में संपरीक्षा के दौरान 6,00,000 से अधिक फर्जी प्रदूषण ट्रेडिंग प्रमाण-पत्र का पता लगाया था;
(ख) क्या फर्जी प्रमाण-पत्रों की संभावित संख्या कई गुना हो सकती है, क्योंकि ये सीपीसीबी में पंजीकृत 2,348 प्लास्टिक अपशिष्ट रीसाइकिलर्स में से केवल चार थे;
(ग) क्या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम उन सभी कंपनियों को सीपीसीबी में पंजीकरण करने के लिए अनिवार्य बनाता है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करते हैं और इन लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है; और
(घ) वर्ष 2023 के दौरान पुनर्चक्रण किए गए प्लास्टिक की कुल मात्रा कितने टन है और कुल कितने प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की यादृच्छिक संपरीक्षा की थी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की यादृच्छिक संपरीक्षा के दौरान अनियमितताएं पाई गई थीं। तदनुसार, सीपीसीबी ने संबंधित एसपीसीबी को, विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के विपरीत तैयार किए गए ईपीआर प्रमाणपत्रों की संख्या के तदनुरूप पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) की उगाही करने और उल्लंघन करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) के विरुद्ध लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में दिनांक 26.10.2023 को निदेश जारी किए थे। सभी एसपीसीबी/पीसीसी को आवश्यक कार्रवाई करने तथा पीडब्ल्यूपी द्वारा ईपीआर प्रमाणपत्रों को विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसरण में तैयार किया जाना सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वाले पीडब्ल्यूपी के विरुद्ध लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में भी निदेश जारी किए गए थे।

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देशों के तहत पंजीकरण के लिए अधिदेशित इकाइयों का इन दिशा-निर्देशों के खंड 6 में उल्लेख किया गया है। ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांडमालिकों तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा लक्ष्यों और दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में प्रदूषक द्वारा भुगतान करने के सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजे की उगाही की जाएगी। ईपीआर दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने के बाद से, अब तक की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा 6812580 टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के प्रसंस्करण के समतुल्य प्रमाणपत्र तैयार किए गए हैं।

******